न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट.)

अपील संख्याः 54/2022
जी.सी.एम.एस संख्याः 2022/85

उनवान

इन्द्रा देवी पुत्री प्रहलाददास स्वामी पत्नि शिवलाल स्वामी जाति दादूपंथी निवासी वजीरपुर हाल निवासी सीतापुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर ।

–अपीलाण्ट/प्रार्थी

बनाम

1. रमेशदास पुत्र कल्याणदास
2. महेशदास पुत्र कल्याणदास
3. सुरेशदास पुत्र कल्याणदास
4. रतनदेवी पत्नि कल्याणदास
   समस्त जाति दादूपंथी निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कार्यालय वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

–रेस्पोडेन्टस्/अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मोहम्मद ईस्लाम खांन अभिभाषक रेस्पोडेन्टस्

––:: निर्णय ::––

निर्णय दिनांक 09.11.2022

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 437/2022 बउनवान इन्द्रा देवी बनाम रमेशदास वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible] बनाम [illegible]
अपील संख्या 2022/85

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के संतान है और ग्राम वजीरपुर में पैत्रिक खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत 2021 लगायत 2031 सालिक खसरा नाम्बर भूमि 211, 212, 213, व 206/2 वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दादा रघुनाथदास चेला नारायणदास उर्फ बजरंगदास के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रही है। जिसके सैटलमेन्ट पश्चात नये नाम्बर खसरा नाम्बर 2577 रकबा 0.17 हैक्टर, 2595 रकबा 0.43 हैक्टर, 2596 रकबा 0.16 हैक्टर, 2616 रकबा 0.12 हैक्टर, 2618 रकबा 0.28 हैक्टर, 2619 रकबा 0.04 हैक्टर, 2620 रकबा 0.42 हैक्टर, 2621 रकबा 0.18 हैक्टर, 2622 रकबा 0.38 हैक्टर, 2625 रकबा 0.16 हैक्टर, 2626 रकबा 0.51 हैक्टर, 2627 रकबा 2.20 हैक्टर, 2628 रकबा 0.20 हैक्टर, 5488/2633 रकबा 0.54 हैक्टेयर कुल खसरा 14 रकबा 5.39 हैक्टेयर दर्ज रकबा है। के मुताबिक पारिवारिक शजरा रघुनाथदास पुत्र नारायणदास उर्फ बजरंगदास के दो पुत्र प्रहलाददास एवं कल्यादास थे वादी के पिता प्रहलाददास का स्वर्गवास वादी के बाबा एवं कल्याणदास के जीवनकाल मे ही हो गया था प्रहलाददास की मृत्यु के समय उनके विधिक वारिसान नाबालिग थे इस कारण विवादित आराजीयात मे मुख्य वादी का जन्म से ही अधिकार संनिहीत है । मुख्य वादी माता शान्तिदेवी के साथ मिल कर काश्तकारी करती रही है।

वादी के दादा रघुनाथदास की वृदावस्था के कारण विवादित आराजीयात के समस्त दस्तावेज कल्याणदास के पास ही रहते थे जबकि राजस्व रिकॉर्ड की नकल सम्वत 2021 में प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजीयात रिकॉर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पिता कल्याणदास के द्वारा राजस्व अधिकारीयो से साठगाठ होकर स्वयं को तन्हा रघुनाथदास का एक मात्र पुत्र दर्शित करते हुए समस्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम करा लिया। जिसका कल्याणदास को विधिक अधिकार नही था विवादित आराजीयात में अपीलान्ट के पिता के 1/2 हिस्से में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है जिसको समाप्त नही किया जा सकता।

सन् 2021 में नकल प्राप्त करने के उपरान्त प्रतिवादीगण से 1/2 हिस्सा राजीखुशी निन वादीया के नाम करने के लिए कहा तो टालमटोल करते रहे और दिनांक 25.02.2022 को हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया और उसकी पैतृक खातेदार भूमि के 1/2 हिस्से को नाम करने की ऐलानिया धमकी दी और अंत मे निवेदन किया गया कि विवादित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य जवाब के आधार पर बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खाता दर्ज रिकॉर्ड किया जावे और फैसला प्रतिवादीगण के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे न कि निवेदन आराजीयात को अधिकार किसी को रहन व्यय नही करे।

…पील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण मे जवाब दावा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश हुआ दिनांक 25.04.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से एक प्रार्थनापत्र 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत पेश किया गया। मुख्य रूप से यह कथन अंकित किया गया कि प्रहलाददास के पिता का नाम भोलाराम था। प्रहलाददास की सेवा पुस्तिका में नाम प्रहलाददास पुत्र भोलाराम ही है। बन्दूक लाइसेंस में उसका नाम व वल्दियत भी यही है। जबकि प्रतिवादीगण के पिता का नाम कल्याणदास पुत्र रघुनाथदास है। समस्त दस्तावेजों एवं सर्विस बुक में कल्याणदास पुत्र रघुनाथदास ही अंकित है। प्रहलाददास का कल्याणदास से कोई संबंध नही है। प्रार्थनापत्र का जवाब वादिया मुताबिक अपार्थीगान के द्वारा दिनांक 25.05.2022 को पेश किया गया और दिनांक 05.05.2022 को Frivolous And Vexatious होने के कारण धारा 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिस पर अपीलान्ट का हक जन्म से ही प्राप्त है अदालत मातहत के द्वारा रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर मनमानी सुनवाई करते हुए मूल दावा खारिज कर दिया गया जो कि विधि के उपरोक्त किया गया है प्रार्थना पत्र अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को मिथ्या मानते हुए खारिज किया गया है जबकि अपीलांट/वादी के द्वारा अंकित साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता प्रहलाद दास एवं रेस्पोंडेन्ट के पिता कल्याण दास दोनों रघुनाथ दास की संतान/चेले थे। प्रहलाद दास की मृत्यु के पश्चात एकमात्र पुरुष संतान/चेला प्रहलाद दास रहे। रेस्पोंडेन्ट के द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में कल्याण दास के पिता रघुनाथ दास का अकंन है जिसको सही मान कर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोचना निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय प्रहलाद दास राजकीय सेवा में कार्यरत थे और सेवाकाल के दौरान ही उनका निधन 01.05.1972 को हुआ था। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर रघुनाथ दास लिखित है जो इस तथ्य को प्रथम दृष्टया साबित करते हैं कि प्रहलाद दास के पिता का नाम रघुनाथ दास है ना कि भोला राम। रेस्पोंडेन्ट /प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र जो आदेश 7 नियम 11 के साथ जो दस्तावेज की प्रति पेश की गई उसमें दिनांक 11.04.2010 का वारिस प्रमाण पत्र है और दिनांक 11.03.2021 को दादूपंथी समाज के पश्चात् लालसोट के द्वारा वारिस प्रमाण पत्र है। ऐसे प्रमाण पत्रों को कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। रेस्पोंडेन्ट के द्वारा जवाब–दावा में इस कथन का अकंन किया कि मैंने अपीलार्थी के पिता प्रहलाददास के सर्विस रिकॉर्ड में प्रहलाद दास पुत्र भोलाराम का नाम दर्ज है, इस बावत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जबकि प्रहलाददास के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम रघुनाथ दास दर्ज है। यह एकमात्र सरकारी दस्तावेज है जो इस बात का सबूत है कि प्रहलाद दास के पिता का नाम रघुनाथ दास है और रघुनाथ दास के पुत्र होने के नाते अपीलार्थी का रघुनाथ दास की जायदाद में जन्म

अपील प्राधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विहित हक निहित है। अदालत मातहत उपखंड अधिकारी वजीरपुर के द्वारा प्रकरण में बिना साक्ष्य अभिलिखित के एवं विवेचन के ही निर्णय दिनांक 05.05.2022 पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन किया है कि अपीलार्थी के पिता का नाम प्रहलाद दास पुत्र भोलाराम था और रेस्पोंडेन्ट के अभिवचनों के अनुसार रेस्पोंडेन्ट के परिवार से कोई संबंध नहीं था तो रघुनाथदास के नाम से जारी लाईसेंस में काट–छांट कर प्रहलाद दास के नाम से जारी लाईसेंस कल्याण दास के नाम से कैसे आ गया ? फर्जी एवं कूटरचित संचित तरीके से रघुनाथ दास के नाम से जारी लाईसेंस को प्रहलाद दास के नाम से तैयार किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत की दिनांक 05.05.2022 को आपेक्षित किया जाकर दावा अपीलार्थी पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अपनी वंश वृक्षावली को उल्लेखित किया है और उक्त वंशवृक्षावली को मातहत अदालत द्वारा मिथ्या मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजात पर उभयपक्ष की साक्ष्य नही ली जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि विधि विरूद्व है, मातहत अदालत को दस्तावेजात पर बिंदुवार

अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विवेचन कर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रस्तुत दस्तावेजों में कल्याणदास के पिता रघुनाथदास का नाम अंकित है। इस तथ्य से यह साबित नहीं होता कि स्व. प्रहलाददास रघुनाथदास की सन्तान/चेला ही नहीं था। मात्र रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्य मान कर मातहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा जवाब लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मातहत अदालत में वादी ने उक्त दावे में फर्जी वंश वृक्षावली प्रस्तुत कर मातहत अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। जिसके संदर्भ में रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा मातहत अदालत के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था। वादी द्वारा मातहत अदालत में केवल स्वयं को पक्षकार बनाया गया जबकि वादी के अतिरिक्त वादी की बहिन व मां शांति को पक्षकार नही बनाया गया जबकि व दोनो जीवित व्यक्ति है। दादूपंथी समाज में चद्दर ओढाने की प्रथा है रघुनाथदास के मरने के बाद उनके वारिसान रेस्पोंडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के पिता कल्याणदास को चद्दर उढाई गई। उस समय वादी तथा अन्य किसी ने आपत्ति नही की लेकिन अब वादीया दीगर व्यक्तियों के बहकावे मे आकर यह अपील गलत आधारो पर प्रस्तुत की है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत कानुनी दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपीलांट का दावा मातहत उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर द्वारा धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत खारिज किया गया है।

रिकॉर्ड अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबन्दी संवत 2022–2025 वाके ग्राम वजीरपुर तहसील गंगापुर सिटी में रघुनाथदास चैला नारायणदास का अंकन है। जबकि संवत् 2038 एवंम् इससे आगे का अवधि में कल्याणदास चैला रघुनाथदास का अंकन है। जो कि वादीनि द्वारा प्रस्तुत सजरा के अनुसार है परन्तु प्रहलाददास पिता/चैला रघुनाथदास के संबंध मे कोइ दस्तावेज वादीनि द्वारा वादपत्र के साथ पेश नही किया गया है। बल्कि रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा नोटेरी पब्लिक से सत्यापित एक फोटोकोपी दस्तावेज पेश किया गया है, जो एक लाइसेंस संख्या 613/एम.एल./एस.डब्ल्यू.एम./60 जिसमें लाइसेंसधारी प्रहलादास पुत्र भोलाराम, नाजिर, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय गंगापुर सिटी का अंकन है, के अनुसार प्रहलाददास, भोलाराम का पुत्र है। जबकि सजरे के अनुसार रघुनाथदास का पुत्र होना अंकित किया है।

अपील प्राधिकारी
ई स्वाोपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 14 के प्रावधान इस प्रकार है :

" उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है — जहां वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है वहां वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा और उसकी द्वारा वादपत्र उपस्थित किए जाने के समय उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वादपत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए परिदत्त करेगा। "

वादी/अपीलांट को अपना वादपत्र/ अपील मीमो को साबित करने का भार स्वयं पर है। वादिनी द्वारा वादपत्र/ अपील मीमो के साथ ऐसी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो वादपत्र/अपीलमीमो में अंकित तथ्यों को साबित करते हो।

अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नजीरपुर के द्वारा निर्णय दिनांक 05.06.2022 कमलचन्द इत्यादि बनाम रमेशदास वगैरहा मुकदमा नम्बर 437/2022 का ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है: " ....परन्तु प्रकरण में वादिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो दावे में वादिया द्वारा प्रस्तुत केस पुख्ता को साबित करे अर्थात वादिया जान बूझकर झूठे तथ्य पेश कर न्यायालय को गुमराह करने तथा अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय जाया करने के उद्देश्य से दावा पेश किया गया प्रतीत होता है इसलिए न्यायालय उक्त दावे को धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के आधार पर निरस्त करना उचित समझता है। "

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नजीरपुर द्वारा धारा 151, सि0प्र0स0 1908 के प्रावधान के अंतर्गत वादपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाने से, जो वाद में अंकित तथ्यों को साबित करे, वादपत्र को खारिज किया गया है। लिखित रूप से सही किया गया है। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 14 के अनुसार वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज वादपत्र के साथ पेश नहीं किया गया है जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है। इस कारण अदालत मातहत उपखण्ड नजीरपुर के आदेश दिनांक 05.06.2022 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नजीरपुर के मु0न0 437/2022 निर्णय दिनांक 05.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
09/11/2022
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर
कैम्प कोर्ट गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner